SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

Case No 2.84 /1.7		aint or report madeon	
Name and address of the Complainant			
Mit	्राइस्टा		
	अधिकट हे प्रधान		
ATT?	+	,	
Name , pa	rentage, caste and a	ddress of accused	
2212/12 11 2	: A-10	1	
45 (A) AL C 210 3	1719145 A	J.c9	
2224 ATE 5103	1921 DIM17	7	
The offence, comp	lainant of, and date	of, its alleged commission	
आप पर आरो	न है कि	दिनांक र ाही।2	मुकाम
अप पर आरोप			
आधिपत्य में 2 ह क्वार्ट लीटर/पा			
ऐसा करके आपने आ	बकारी अधि० 1915	की धारा 34-1 (क)	के अधीन दण्डनीय
अपराघ कारित किया।			
क्या आपको उ	क्त अपराध रवीकार	है या प्रतिरक्षा चाहते हो	
	8 4		0
			उक्ती जिल्ली
The plea of t	he accused and his o	examination (if any)	हस्ती. प्रथम प्रथम प्रथम
अपराध स्वीकार है! यून दण्ड से दण्डित	त करने का निवेदन	8 1	
an			(1)
The state of the s			ST PLACE

//निर्णय// (आज दिनांक 09 /11/12 को घोषित)

- 01. <u>अ</u>भियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधि० 1915 की धारा 34–1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
 - 02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अत अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के अधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।
 - 03. अभियुक्त को आबकारी अधि० १९१५ की धारा ३४–१ (क) के तहत न्यायाल उठने तक, की अवधि तक की संजा एवं रूपये विष्णाब्दों में अकि इत्तर किया जाता है। अर्थदण्ड । पटाये जाने पर कि का साधारण काराबास की संजा भुगतायी जावे।

्राह्मके की जाते। अधील हो हो हो में भाना अपील स्थाया

माधिया विकटर प्रथम द्वर